

तैयारी: सूबे के हर पुल की 11 अंकों की यूनिक आईडी होगी

पुलों पर क्यूआर कोड भी होगा, जिसे स्कैन कर लोग उसकी स्थिति जान सकेंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के पुलों की पहचान अब 11 अंकों की यूनिक आईडी से होगी। इसमें पहला तीन अंक जिला, उसके बाद एनएच या एसएच, फिर बड़े या छोटे पुल और फिर पुलों की संख्या लिखी रहेगी। पुलों के नीचे सेंसर लगेगा, जिससे उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। आरा-छपरा और अरवल-सहारपुल में इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है।

पुलों का डिजिटल ब्रिज सेफ्टी ऑडिट समस्तीपुर के एक पुल से शुरू की गई है। पुलों पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन कर आम लोग उसकी स्थिति की जानकारी ले सकेंगे। हर पुल का हेल्थ इंडेक्स होगा और रेटिंग के अनुसार उसकी मरम्मत होगी। पुलों के निर्माण के साथ ही उसके रखरखाव का काम शुरू हो जाएगा। पुलों पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिससे आम लोग जान सकें कि उसकी क्या स्थिति है। शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पथ निर्माण मंत्री नितिन



विश्वेश्वरैया भवन में शनिवार को पत्रकारों से बात करते पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह व पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक।

■ पुलों के रखरखाव की नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य : मंत्री

■ पुलों के निर्माण के साथ ही उसके रखरखाव का काम शुरू हो जाएगा

नवीन ने कहा कि राज्य में विगत 18 वर्षों में विभाग की ओर से 3968 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। इसमें मेगा ब्रिज, मेजर ब्रिज एवं फ्लाईओवर की संख्या 532 है। इन पुलों की देखरेख के लिए बीते दिनों राज्य कैबिनेट से बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति-2025 मंजूरी

मिली है। देश में बिहार पहला राज्य है जिसने सड़कों के बेहतर रखरखाव की नीति ओपीआरएमसी के बाद पुलों के बेहतर संधारण के लिए नीति बनाई है। आईआईटी दिल्ली 40, आईआईटी पटना 45 पुलों का सेफ्टी ऑडिट करेगा : मंत्री ने कहा कि 60 मीटर से अधिक लंबे पुलों का संधारण एवं

निरीक्षण कार्यपालक से मुख्य अभियंता तक करेंगे

6 मीटर तक के पुलियों का भौतिक निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, 6 मीटर से 60 मीटर तक अधीक्षण अभियंता और 60 मीटर से 250 मीटर तक के लंबे पुलों का निरीक्षण मुख्य अभियंता करेंगे। इसके लिए 600 अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 743 पुलों के सर्वे में 29 में आंशिक मरम्मत की बात सामने आई है। मौके पर पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक भी मौजूद थे।

प्रबंधन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। 60 मीटर या इससे कम लंबे पुलों का रखरखाव संबंधित पथ प्रमंडल से होगा। पुलों के रखरखाव के लिए अपनाई जाने वाली नीति का क्रियान्वयन ब्रिज मंटेनेंस बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से होगा। इंजीनियरों की भूमिका तय की गई है।